फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आमेट जिला राजसमंद

प्रकरण : संख्याः– 65/2016 शीर्षकः– श्री शांतिदास वैरागी बनाम हीरादास वैरागी वगैराह

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार – 2018"

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/सूचना नं.
18.05.2018	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता ने धारा 53, 188 का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आगरिया तहसील आमेट जिला राजसमंद में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त शामलाती कब्जेशुदा कृषि भूमि आराजी नम्बर 2759 रकबा 0.8200 हैक्टर भूमि में में वर्णित जमाबन्दी में दर्ज हिस्से के अनुसार पक्षकारान् के मध्य विभाजन किया जाने तथा वादी के हको की घोषणा की जाकर विभाजन किये जाने की इस्तदुआ की गई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । दोराने कार्यवाही पत्रावली लोक अदालत केम्प आगरिया मे प्रस्तुत हुई । वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा लोक अदालत की भावना को देखते हुए स्वीकार किये जाने बाबत् पत्रावली की आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 22.06.2018 को जारी पी.डी. की पालना में तहसीलदार आमेट द्वारा विधिवत् विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे शामिल फाईल किया गया। प्राप्त विभाजन योजना पर दोनो पक्षकारान् के सहमति के हस्ताक्षर होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 का स्वीकार किया जाता है एवं पक्षकारान् के मध्य ग्राम आगरिया आराजी नम्बर 2759 रकबा 0.8200 हैक्टर भूमि का निम्नानुसार विभाजन करने की आज्ञा दी जाती है।	

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	लगान
श्री शांतिदास पिता मांगीदास वैरागी सा. आगरिया का वाडा खातेदार	2759/1	0.2733	4.37
योग	01	**0.2733**	**4.37**
श्रीमती रूकमणी बेवा मांगीदास वैरागी सा. आगरिया का वाडा खातेदार	2759मी.	0.2734	4.38

Scanned by CamScanner

योग	01	0.2734	4.38
श्री हीरादास पिता मांगीदास वैरागी सा. आगरिया का वाडा खातेदार	2759/2	0.2733	4.37
योग	01	0.2733	4.37

उपरोक्त हिस्सेनुसार राजस्व अभिलेख में पक्षकारान् के पृथक–पृथक अंकन करने हेतु मय विभाजन प्रस्ताव के तहसीलदार आमेट को लिखा जावें । डिक्री पर्चा अलग से कायम किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो।

(कालुराम खौड़)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी आमेट
जिला राजसमंद

Scanned by CamScanner

संख्यांक नं0 1

मूल वाद में अन्तिम डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) आमेट जिला–राजसमंद

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार – 2018"

पीठासीन अधिकारी :– श्री कालूराम खोड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 65/2016

वादीपक्ष :–

1– श्री शांतिदास पिता मांगीदास वैरागी निवासी आगरिया की वाडा तहसील आमेट जिला राजसमंद

2– श्रीमती रूकमणी बेवा मांगीदास वैरागी निवासी आगरिया की वाडा तहसील आमेट जिला राजसमंद

–:बनाम:–

प्रतिवादी पक्ष :–

1– श्री हीरादास पिता मांगीदास वैरागी निवासी आगरिया की वाडा तहसील आमेट जिला राजसमंद

2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमंद

वाद : विभाजन एवं निषेधाज्ञा

वादी की ओर से :– अधिवक्ता श्री रतनलाल रावत

प्रतिवादी की ओर से :– अधिवक्ता श्री मनीष जोशी

में इस आशय में दिनांक 18.05.2018 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 का स्वीकार किया जाता है एवं पक्षकारान् के मध्य ग्राम आगरिया आराजी नम्बर 2759 रकबा 0.8200 हैक्टर भूमि का निम्नानुसार विभाजन करने की आज्ञा दी जाती है। उपरोक्त हिस्सेनुसार राजस्व अभिलेख में पक्षकारान् के पृथक–पृथक अंकन करने हेतु मय विभाजन प्रस्ताव के तहसीलदार आमेट को लिखा जावें । डिक्री पर्चा अलग से कायम किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी हो।

(कालूराम खोड)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी आमेट

जिला राजसमंद

आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी आमेट

जिला राजसमंद